

प्रेसनोट दिनांक 04.06.2022

1. दिनांक 03.06.22 को वादी श्री बलराम यादव पुत्र रामलखन नि० साहबगंज थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुन्ना सोनकर नि० लोनियाना साहबगंज थाना को०नगर अयोध्या आदि 10 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 431/22 धारा 147, 323, 504 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 03.06.22 को वादी प्रदीप कुमार पाण्डेय शाखा प्रबन्धक इण्डियन बैंक देवकाली थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि एम्बूलेन्स वा०सं० यूपी 42एटी 8701 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मारकर घायल कर देना जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 434/22 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 03.06.22 को वादी श्री सचिन पुत्र माधव प्रसाद राम नि० भैरीपुर थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात ट्रक चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी की मो०सा० मे टक्कर मार देना जिससे वादी के पिता की मृत्यु हो जाना तथा वादी व वादी के भाई को चोटे आना और मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 202/22 धारा 279, 337, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 03.06.22 को वादी उ०नि० श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामू निषाद पुत्र रामपाल नि० बेनवां थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 210/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 03.06.22 को वादी श्री उदयराज पुत्र बलेश्वर नि० गोकुला थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पारसनाथ पाण्डेय पुत्र उमाकान्त नि० अज्ञात आदि 05 नफर अभि०गण द्वारा जमीनी विवाद को लेकर वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 130/22 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 03.06.22 को वादी श्री राघवेन्द्र प्रताप पुत्र बालिकरन नि० नेवाजपुर थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बलकेश सिंह पुत्र उदयराज सिंह नि० नेवाजपुर थाना को०रुदौली अयोध्या अभि० द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 222/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।